

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग


क्रमांक: प.3(178)नविवि/03/2012

जयपुर, दिनांक: 25.03.2013

आदेश

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की पूर्ववर्ती धारा-90-बी (3) के अन्तर्गत खातेदार द्वारा समर्पित भूमि के नियमन/आवंटन के प्रकरणों में पट्टा जारी करने के संबंध में जारी किया गया विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12.03.2013 एतद्वारा प्रत्याहरित (withdraw) किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(आर.के.पारीक)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश की प्रति समस्त नगरनिगमों/नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं को भिजवायें।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
10. प्रभारी, सीएमआईआर, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. अध्यक्ष, टोडार, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय